न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 232/2021

जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा, निवासी वार्ड नं0 10, गणेशपुरा नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, मो0न0 9414083532

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 15.11.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.10.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 232/2021 पर दिनांक 28.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/3491–92 दिनांक 28.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 37 (7)(8)विविध/चुनाव/2011/871 दिनांक 08.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री जयप्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 15.10.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन किया गया था जो इस कार्यालय मे दिनांक 15.10.2020 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 4189 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई थी। आवेदक द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि मे आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ 37(7)(8)विविध/चुनाव/2011/871 दिनांक 08.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री जयप्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 15.10.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन किया गया था जो उनके कार्यालय मे दिनांक 15.10.2020 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना उनके कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 4189 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई थी। आवेदक द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि मे आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं